

**भारत सरकार**  
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**  
**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 4142**  
**19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ**

**विषय: किसानों के लिए संकट**

**4142. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने मणिपुर में चल रहे संकट, जिसके कारण किसानों की आजीविका छिन गई है और कृषि भूमि का उपयोग बुरी तरह प्रभावित हुआ है, का कोई वस्तुनिष्ठ आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ है, विशेषकर उस कृषि भूमि का जिला-वार ब्यौरा क्या है जिसका इस संकट के कारण उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) भूमि का इस प्रकार उपयोग न किए जाने से खाद्यान्न उत्पादन/उपज पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इससे प्रभावित किसानों की संख्या कितनी है और कितने किसान हताहत हुए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (घ): कृषि राज्य का विषय है। मणिपुर राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिंसा से प्रभावित कृषि भूमि का आकलन किया गया है। प्रभावित कृषि भूमि का जिलेवार विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	जिले का नाम	प्रभावित कृषि भूमि
1.	इंफाल पूर्वी	1562.88 हेक्टेयर
2.	इंफाल पश्चिम	562.52 हेक्टेयर
3.	बिशुनपुर	2280 हेक्टेयर
4.	थोबल	36 हेक्टेयर
5.	काकचिंग	329 हेक्टेयर
6.	जिरीबाम	73 हेक्टेयर
7.	चुराचांदपुर	2932 हेक्टेयर
8.	चंदेल	109 हेक्टेयर
9.	तेंगनोउपाल	258 हेक्टेयर
10.	कांगपोकपी	3822 हेक्टेयर
	कुल	11,967.4 हेक्टेयर

मणिपुर राज्य सरकार ने भूमि के उपयोग न होने के कारण लगभग 27,269 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन/उपज हानि का आकलन किया है, जिसमें 9,182 किसान प्रभावित हुए हैं और 11 किसान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं (8 घायल और 3 की मृत्यु)।

भारत सरकार स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दो तरीकों जैसे (i) राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और (ii) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से तत्काल राहत के लिए सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत निधियों का आवंटन आनुक्रमिक वित्तीय आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। एसडीआरएफ के लिए, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 90:10 के अनुपात में अंशदान दिया जाता है, जबकि एनडीआरएफ में, कोष में पूर्ण अंशदान केंद्र सरकार का है।

वर्ष 2024-25 से मणिपुर से संबंधित एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से आवंटित और जारी निधि निम्नानुसार है:

अवधि	एसडीआरएफ का आवंटन (केंद्रीय अंश)	एसडीआरएफ से जारी	एनडीआरएफ से जारी
2024-25	40 करोड़	50 करोड़	12.15 करोड़
2025-26 (31.07.2025 तक)	40.80 करोड़	29.20 करोड़	131.08 करोड़

\*\*\*\*\*